पंचायती राज
PANCHAYATI RAJ

स्वामित्व योजना

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए

ग्रामीण नागरिकों को योजना से लाभ

- संपत्ति के मालिक को मालिकाना हक प्राप्त होगा
- मालिकाना हक से ग्रामवासी ऋण आदि लेने में सक्षम होंगे
- गांव के आबादी क्षेत्र का रिकार्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे
- संपत्ति के स्पष्ट आंकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी

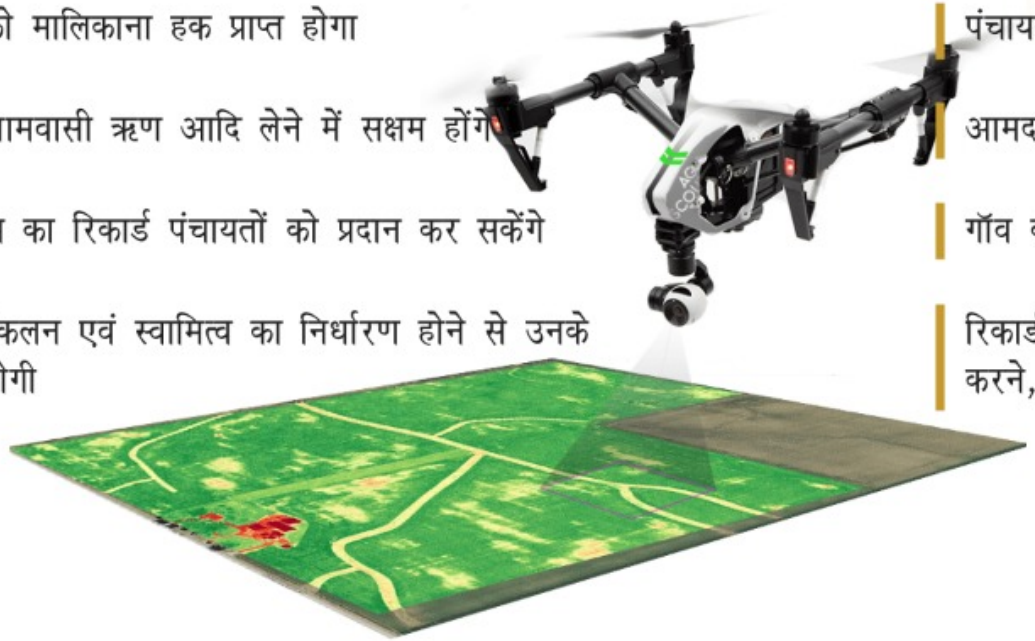

पंचायतों को योजना से लाभ

- पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा
- आमदनी से ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पायेंगी
- गॉव का सटीक मानचित्र व रिकार्ड उपलब्ध होगा
- रिकार्ड का उपयोग कर वसूली, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने, अवैध कब्जा समाप्त करने में किया जायेगा

क्रियान्वयन विभाग:
राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उ0प्र0

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जनहित में जारी।